कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद

पत्रांक 405 /15—1 दिनांक, इलाहाबाद, जुलाई 31, 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

विषयः— जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत एन0 एच0—2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) कि0मी0 185.800 से 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 194 बांधक वृक्षों के पातन एवं 6.4180 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में आन लाइन प्रस्ताव संख्या—एफ.पी./यू.पी./रोड/34116/2018 के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपकी पत्र सं0—207/11—सी—एफ.पी./यू.पी./रोड/34116/2018 दिनांक 24—07—2018।

महोदय,

उक्त पत्र के अनुपालन में विषयक प्रस्ताव में इलाहाबाद वन प्रभाग की इंगित कमियों का निम्न प्रकार बिन्दुवार निराकरण कर समेकित संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

क्र. सं.	आपत्ति का विवरण	अनुपालन आख्या
1	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न है, किन्तु आदेश की पूर्ण प्रति संलग्न नहीं की गयी है। अतः पूर्ण प्रति संलग्न करते हुये आन लाइन अपलोड करें।	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश की पूर्ण प्रति संलग्न कर आन लाइन अपलोड कर दिया गया हैं।
2	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु आन लाइन भाग—2 में 31 सेमी से अधिक व्यास के 196 वृक्ष अपलोड किये गये हैं जबकि प्रस्ताव के संलग्न सूची में 31 सेमी से अधिक व्यास के 176 वृक्षों का ही उल्लेख है। अतः इस विषमता को दूर कर आन लाइन पार्ट—2 में अपलोड करें।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की संलग्न सूची के अनुसार 31 सेमी से अधिक व्यास के 176 वृक्षों का ही उल्लेख है। जिसे आन लाइन पार्ट—2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन (Linear plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो एवं सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन (Linear plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो एवं सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न कर आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
4	हिन्दी वर्जन भाग—2 में क्रमांक 10 (i) से 10 (V) में सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया	हिन्दी वर्जन भाग—2 में क्रमांक 10 (i) से 10 (V) में सम्बन्धित विवरण अंकित कर दिया गया

	गया है।	है।
5	आन लाइन भाग–2 में व हिन्दी वर्जन भाग–2 में जिले का वन क्षेत्रफल भिन्न अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें तथा संसोधित आन लाइन पार्ट–2 संलग्न करें।	आन लाइन भाग–2 में व हिन्दी वर्जन भाग–2 में जिले का वन क्षेत्रफल एक समान अंकित कर संसोधित आन लाइन पार्ट–2 संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय,

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग, इलाहाबाद।

पत्रांक /समदिनांक।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग डिवीजन–1, लोक निर्माण विभाग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, इलाहाबाद को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग, इलाहाबाद।